

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 5276  
जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति

5276. डॉ. अमर सिंह:

श्री हेमन्त पाटिल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत मंजूर की गई 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से केवल 5 परियोजनाएं ही लागू की गई हैं और बाकी अभी आरंभ नहीं हुई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों का और निष्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;
- (घ) क्या सरकार ने अपनी परियोजनाओं को उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी तंत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में शुरू की गई परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए वर्ष 2014 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्कीम की दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादन हेतु 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से पांच परियोजनाएं नामतः पोलावरम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश), सरयू नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश), गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र), तीस्ता बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल), और शाहपुरकांडी बांध परियोजना (पंजाब) शुरू की गई हैं। विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परियोजनाओं की सकल मॉनिटरिंग के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है। उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की अब तक 11 बैठकें आयोजित की गई हैं। केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हुए सभी परियोजनाओं की वास्तविक/वित्तीय प्रगति के अपडेशन के लिए एक ऑनलाईन एमआईएस विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शाहपुरकांडी बांध परियोजना और पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समितियां गठित की गई हैं।

(ङ) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यों को (क)जल हानि को घटाने के लिए संरक्षित फील्ड चैनलों का निर्माण, (ख) सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना के माध्यम से कम से कम 10% क्षेत्र का विकास (ग) जल प्रयोक्ता संघों के गठन माध्यम से जनमानस की भागीदारी, के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बेहतर और बढ़ाने संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत प्राथमिकीकृत बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों को परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने तथा लागत घटाने के लिए दाबित पाईप नेटवर्क अपनाने की सलाह भी दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दाबित पाईप नेटवर्क संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

“राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्थिति” विषय पर दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5276 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

| क्र. | राष्ट्रीय परियोजना/राज्य :             | 1) सिंचाई ( . )<br>2) विद्युत ( . )<br>3) ( )  | स्थिति  |
|------|--|--|---|
| 1    | गोसीखुदे सिंचाई परियोजना / महाराष्ट्र  | 1) 2.50 लाख<br>2) 3 मेगावाट<br>3) 0.93 एमएएफ   | चालू  |
| 2    | सरयू नहर परियोजना / उत्तर प्रदेश       | 1) 14.04 (एनपी घटक : 4.73)<br>2) शून्य<br>3) शून्य   | चालू  |
| 3    | पोलावरम सिंचाई परियोजना / आंध्र प्रदेश | 1) 2.91 लाख<br>2) 960 मे.वा.<br>3) पेयजल और औद्योगिक उद्देश्य के लिए विजाग शहर को 23.44 टीएमसी जल और कृष्णा बेसिन को 84.70 टीएमसी का डायवजेन | चालू  |
| 4    | शाहपुरकंडी बांध परियोजना / पंजाब       | 1) 0.37 लाख<br>2) 206 मे.वा.<br>3) 0.012 एमएएफ   | चालू  |
| 5    | तीस्ता परियोजना / पश्चिम बंगाल         | 1) 9.23 लाख ( एनपी घटक 5.27)<br>2) तीन नहरों में आने वाले पावर हाउसों में 67.5 मे.वा. @ 22.5 मे.वा. प्रत्येक)<br>3) बैराज                    | 1.97 लाख हे. की सिंचाई क्षमता सृजित। भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण वर्ष 2014-15 से परियोजना रुकी हुई है। राज्य सरकार ने तीस्ता बैराज परियोजना के संतुलन कार्य के निष्पादन के लिए उचित कार्रवाई का सुझाव देने के लिए नवंबर, 2015 में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। हालाँकि, राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। |
| 6    | लखवार बहुउद्देशीय परियोजना / उत्तराखंड | 1) 33,780<br>2) 300 मे.वा.<br>3) 0.267 एमएएफ   | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए परियोजना प्राधिकरण द्वारा ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट का अपडेशन किया जा रहा है।   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 7  | रेणुकाजी बांध<br>परियोजना /<br>हिमाचल प्रदेश                       | 1) पेयजल<br>2) 40 मे.वा.<br>3) 0.404 एमएएफ                               | मूल्यांकन चरण  |
| 8  | किशाऊ बहुउद्देशीय<br>परियोजना /<br>हिमाचल प्रदेश और<br>उत्तराखंड   | 1) 0.97 लाख<br>2) 660 मे.वा.<br>3) 1.04 एमएएफ                            | मूल्यांकन चरण  |
| 9  | उज्ज बहुउद्देशीय<br>परियोजना / जम्मू<br>और कश्मीर                  | 1) 0.32 लाख<br>2) 212 मे.वा.<br>3) 0.82 एमएएफ                            | राज्य सरकार ने उझ बांध से भंडारण<br>का उपयोग करने के लिए संशोधित<br>डीपीआर प्रस्तुत नहीं की है |
| 10 | केन-बेतवा नदी जोड़<br>परियोजना / मध्य<br>प्रदेश और उत्तर<br>प्रदेश | 1) 6.35 लाख<br>2) 78 मे.वा.<br>3) 2.18 एमएएफ                             | चरण -II के लिए मूल्यांकन चरण   |
| 11 | कुल्सी बांध<br>परियोजना / असम                                      | 1) 20,500 हे.<br>2) 55 मे.वा.<br>3) 0.28 एमएएफ                           | मूल्यांकन चरण  |
| 12 | नोआदिहंग बांध<br>परियोजना /<br>अरुणाचल                             | 1) 3605 हे.<br>2) 72 मे.वा.<br>3) 0.26 एमएएफ                             | मूल्यांकन पूर्ण  |
| 13 | बरसार एचई<br>परियोजना / जम्मू<br>और कश्मीर                         | 1) 1.74 लाख<br>2) 800 मे.वा.<br>3) 0.5 एमएएफ                             | मूल्यांकन चरण  |
| 14 | जिस्पा एचई<br>परियोजना /<br>हिमाचल प्रदेश                          | 1) 0.50 लाख ha<br>2) 300 मे.वा.<br>3) 0.74 एमएएफ                         | डीपीआर चरण   |
| 15 | दूसरा रवि व्यास<br>नदी जोड़<br>परियोजना/ पंजाब                     | सीमापार बहने वाले जल का संचय<br>(गैर-मानसून अवधि में लगभग 0.58<br>एमएएफ) | पीएफआर चरण   |
| 16 | ऊपरी सियांग<br>परियोजना /<br>अरुणाचल प्रदेश                        | 1) अप्रत्यक्ष<br>2) 9750 . . .<br>3) 1.44<br>4) <u>नियंत्रण</u>          |  |

\*\*\*\*\*